

## कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9719/2016-17/

दिनांक 31.3.17

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी  
पंचायत समिति -

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत फीस पुनर्भरण हेतु राशि प्रत्याहरण व आवंटन के संबंध में।

विषयान्तर्गत निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त पुनर्भरण राशि का प्रत्याहरण/आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है।

बजट मद - 2202-01-800-14-00-57(आयोजना व्यय)


क्र.सं.	ऑफिस कोड	कार्यालय का नाम	प्रत्याहरण	आवंटन
1	1654	खानपुर	80480	0
2	32956	लवाण	10000	0
3	1713	लालसोट	1400	0
4	1615	बानसूर	73886	0
5	1605	किशनगढबास	60	0
6	1617	कोटकासिम	21280	0
7	1610	लक्ष्मणगढ	180	0
8	1614	मुण्डावर	4270	0
9	1613	नीमराणा	35925	0
10	1609	रैणी	11250	0
11	1608	राजगढ	1350	0
12	1607	रामगढ	1905	0
13	1618	थानागाजी	10825	0
14	1619	उमरैण	385	0
15	1616	तिजारा	0	160049
16	1599	धोद	5260	0
17	1600	फतेहपुर	17336	0
18	1601	लक्ष्मणगढ	3185	0
19	32957	पाटन	0	25786
20	1405	रानी	69730	0
21	1967	झोटवाडा	225	0
22	1699	दूदू	5840	0
23	1404	देसूरी	0	10740
21	1396	पाली	0	158100
योग			354772	354675

लगातार.....

बजट मद - 2202-01-796-11-00-57(आयोजना व्यय)


क्र०सं०	ऑफिस कोड	कार्यालय का नाम	प्रत्याहरण	आवंटन
1	32956	लवाण	0	10000
2	1713	लालसोट	0	173120
3	1697	झोटवाडा	298	0
4	1600	फतेहपुर	900000	0
5	1477	हनुमानगढ	300000	0
6	26054	रावतसर	0	600000
7	26052	संगरिया	0	417050
योग			1200298	1200170

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक फ05(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 1301202013 के तहत आई0फ0म0स के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक व 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

  
लेखाधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
- 2 सिस्टम ऐनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
- 3 सहायक निदेशक, आरटीई0अनुभाग।
- 4 सहायक लेखाधिकारी अंक मिलान/योजना अनुभाग।
- 5 रक्षित पत्रावली।

  
लेखाधिकारी